>

Title**:** Need to enhance the share of funds provided by the Central Government for Accelerated Rural Water Supply Programme in Rajasthan.

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य की 90 प्रतिशत से अधिक जल प्रदाय योजनायें भूजल पर आधारित हैं। भूजल के अत्याधिक दोहन व अल्पवर्षा के कारण राज्य में भूजल स्तर में निरंतर गिरावट हो रही है। इस कारण वर्तमान में 237 ब्लॉक्स में से मात्र 30 ब्लाक्स ही भूजल दोहन हेतु उपयुक्त बचे हैं। भूजल की गुणवत्ता भी दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। वर्ष 2003 में किये गये हेबीटेशन सर्वे के परिणामों से पता लगा कि राज्य में 34,183 आबादियां जल गुणवत्ता की समस्या से ग्रस्त है।

जल प्रदाय के दूरगामी हल के लिए भूजल स्रोत विश्वसनीय नहीं है। सभी उपलबध विकल्पों को दÂिष्टगत करते हुए व भूजल भंडारण के परिवर्तन की गतिविधि संबंधी अध्ययनों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा यह नीतिगत निर्णय लिया गया है कि पेयजल योजनाओं हेतु अधरातलीय स्रोत ही विश्वसनीय व स्थिर है। राज्य में निरंतर आपूर्ति वाले धरातलीय जल स्रोत भी गिने चुने ही हैं तथा चम्बल व इसकी सहायक नदियां, इंदिरा गांधी नहर प्रणाली व नर्मदा नहर इत्यादि, जिन्हें जलप्रदाय योजनाओं हेतु विश्वसनीय माना जा सकता है। इस परिमितता के कारण गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों की जल समस्या के हल के लिए दूरी पर स्थित धरातलीय जल स्रोत से ग्रामों व नगरों के समूह को लाभान्वित करने वाली वृहद परियोजनाएं ही एकमात्र विकल्प बचती हैं। इस तरह की वृहद योजनाएं लंबी पाईप लाईन वितरण तंत्र के कारण अपेक्षाकृत अधिक खर्चीली होती है। राजीव गांधी पेयजल आपूर्ति मिशन के तहत भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता प्रभावित आबादियों की पेयजल योजनाओं हेतु वित्त पोषण किया जाता है। ऐसी योजनाओं हेतु वित्त पोषण क्रमशः 75 प्रतिशत 25 प्रतिशत भारत सरकार व राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। राज्य में गुणवत्ता की समस्या से ग्रस्त ग्रामों की संख्या विश्वसनीय जल स्रोत के अभाव के कारण पेयजल योजनाओं की अपेक्षाकृत अधिक लागत व राज्य मद में उपलब्ध सीमित धनराशि को देखते हुए राज्य में गुणवत्ता की समस्या के हल के लिए भारत सरकार की हिस्सा राशि में बढ़ोतरी की आवश्यकता है।

राजस्थान राज्य की पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता की भीषण समस्या को दÂिष्टगत करते हुए ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी (क्वालिटी) के तहत योजनाओं का वित्त पोषण शत प्रतिशत भारत सरकार द्वारा किया जाना प्रस्तावित है एवं केन्द्रीय हिस्से की प्रथम किश्त 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत किया जाना चाहिए।